

दिनांक 25/07

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

न्याय या न्यायिक  
अवकाश जो इस  
हुकम की मापिल  
में जारी हुए।

3-18 वज्रलाम फरिक्केन उपरिक्थत तहसीलदार नगर  
से हुके रिपोर्ट प्राप्त गये हुके हुके दिनांक 12.14.18 को  
जाते हुके/ पत्रावली वालते हुके  
रिपोर्ट दिनांक 12.14.18 को जेर हो।

4/18

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अवकाश पर हैं। अतः  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.7.18 को पेश हो।

6/18

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अवकाश पर हैं। अतः  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.7.18 को पेश हो।

7/18


वज्रलाम फरिक्केन उपरिक्थत पत्रावली वालते दिनांक 26.7.18  
को पेश हो।

वज्रलाम फरिक्केन उपरिक्थत तहसीलदार नगर ने -  
दिनांक 4/07/18 को हुके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध  
में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि विवादित आराजी खा. नं.  
458/0.05, 459/0.06, 460/0.05, 461/0.07 कितना 4-  
रकबा 0.23 की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा  
अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया  
जाना है जो उक्त रकबा कुछ योग्य नहीं रहल है  
भूमि के टुकडे इतने छोटे हो जाते हैं कि नक्शा  
लहा में तस्मीम भी नहीं हो जा सक्ती है।  
स्थान में विभाजन किया जाना संभव नहीं है।  
उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उमय पक्ष के विद्वान  
अभिभाषकों की कहल सुनी। दौराने कहल यह  
तथ्य भी सामने आया कि माँके पर पक्षगारानकार  
विवादित आराजी पर पक्के निर्माण भी किये हुये हैं।  
इस प्रकार आराजी का बंटवारा किया जाना संभव नहीं  
है।

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः आदेश है कि दावा वादीगण खारिज  
किया जाता है। इसी प्रकार पर्याप्त डिक्री जारी  
है। पत्रावली कैंसल शुभाह होकर दाखिल इफ्त  
है।

  
जज अण्ड अधिकारी  
मुंबई (नारवपुर)

(राजवीर सिंह यादव)

पिन  
0  
23